




## अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

क्रमांक : अमअ/संस्थापन/2021/33 दिनांक : 09.07.2021  
नीलामी सूचना

इस महाविद्यालय के खेलकूद विभाग की नकारा/ अनुपयोगी खेल सामग्री पुस्तक मूल्य राशि रूपये 4,98,110/- का निस्तारण नीलामी द्वारा गठित कमेटी के समक्ष दिनांक 16.07.2021 दोपहर 12:30 बजे महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को राशि रूपये 5,000/- का डी0डी0 प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम देय प्रस्तुत करना होगा। नीलामी की शर्तें व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस में नीलामी से पूर्व कार्यालय में एवं वेबसाइट [www.spp.rajasthan.gov.in](http://www.spp.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती हैं।

  
प्राचार्य





# अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

(राजस्थान सरकार का स्वायत्तशासी संस्थान,  
नारेली तीर्थ के पास, बडलिया चौराहा, अजमेर

www.ecajmer.ac.in  
email : principal@ecajmer.ac.in

Phone 0145-2971024

क्रमांक / अमअ / संस्था / 2021 / 34

दिनांक 09.07.2021

अनुपयोगी / नकारा सामानों की नीलामी शर्तें

नीलामी दिनांक 16.07.2021

1. नीलामी कमेटी के समक्ष खुली बोली के रूप में होगी एवं अनुपयोगी / नकारा सामान जैसा है व जहाँ है के आधार पर होगी। जिसका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में बोली पूर्व किया जा सकता है।
2. नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु नीलामी बोलीदाता को अमानत राशि रूपये 5,000/- अक्षरे पाँच हजार रूपये का डी0डी0/बैंकर चैक प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम का जमा कराना होगा जो कि नीलामी दिनांक को दोपहर 12:30 बजे तक जमा कराया जा सकेगा। इसके पश्चात अमानत राशि जमा नहीं होगी। अमानता राशि के डी0डी0/बैंकर्स चैक के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. नीलामी हेतु रिजर्व प्राइस की घोषणा नीलामी हेतु गठित कमेटी द्वारा नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व की जावेगी। खुली बोली इस प्राइस के बाद आगे नीलामी कमेटी करेगी।
4. बोली लगाने वाली फर्म / व्यक्ति का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।
5. नीलामी के सामान को ले जाने का प्रबंध सफल बोलीदाता को ही करना होगा।
6. सफल अधिकतम बोली दाता को बोली की राशि मौके पर ही जमा करवाकर तुरन्त सामान उठाना होगा। अन्यथा उसकी अमानता राशि जब्त करली जावेगी। सफल बोलीदाता के नाम बोली छोड़ने पर राशि जमा कराने के उपरान्त सामान की सुरक्षाकी जिम्मेदारी सफल बोली दाता की होगी।
7. सफल बोलीदाता को नीलामी राशि के साथ नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.डी.एस. व अन्य कर जो लामू हो अलग से जमा कराना होगा। शेष बोलीदाताओं द्वारा जमा अमानता राशि लौटा दी जावेगी एवं सफल बोलीदाता को अमानता राशि का समायोजन बोली की राशि में किया जावेगा।

